

श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2015 को संपन्न अंतर्एजेसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

1. दिनांक 22.12.2015 को उच्चस्तरीय बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के क्रम में "Urban Road Policy" बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसका प्रारूप पॉलिसी मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, जो मुख्य महाप्रबंधक (बुडको) एवं पटना नगर निगम के अभियंता का इस कार्य में सहयोग लेंगे।

निर्देश दिया गया कि इस हेतु अन्य राज्यों की "Urban Road Policy" का अध्ययन किया जाय और उसके आधार पर बिहार राज्य के लिए पॉलिसी प्रारूप तैयार किया जाय।

2. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (पूर्व मुद्दे यथावत, प्रतिनिधि अनुपस्थित):-

2.1 दारोगा राय पथ पर वेण्डिंग जोन बनाने के लिए पटना नगर निगम के प्रस्ताव की जानकारी पूर्व बैठक में अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग को दी गयी और अपेक्षा की गयी कि एक सप्ताह में इसका निराकरण कराकर, पटना नगर निगम को अवगत कराया जाय।

पथ निर्माण विभाग के अभियंता को बताया गया कि इस संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र समर्पित करें।

2.2 शनिचरा में आर०सी०सी० पुल बनाने के संबंध में जानकारी दी गयी कि डी०पी०आर० बन गया है, टेण्डर हो गया है, जिसका कार्यान्वयन प्रारंभ होना है।

2.3 अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा की गयी कि जिस प्रकार पटना उच्च न्यायालय से इनकम टैक्स चौराहा तक बेली रोड के दोनों किनारे फुटपाथ आदि संरचना बनाकर सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी तरह का सौंदर्यीकरण सम्पूर्ण बेली रोड पर किया जाय। साथ ही साथ पटना नगर निगम क्षेत्र में

अवस्थित पथ निर्माण विभाग के सभी पथों पर यथासंभव फुटपाथ का निर्माण, पलैक का पक्कीकरण, आवश्यकतानुसार रोड डिवाइडर ग्रिल आदि सभी व्यवस्था का प्रावधान किया जाय ताकि शहर सुन्दर बन सकें। पलैक का पक्कीकरण होने से गंदगी पर नियंत्रण करना आसान होगा।

जहाँ जमीन उपलब्ध है, वहाँ शीघ्र फुटपाथ की योजना बनायी जाय। अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग को कहा गया कि पटना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पथ निर्माण विभाग में निष्पादन हेतु लंबित मुद्दों की सूची बनाकर शीघ्र नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित कराकर इसका निष्पादन कराया जा सके।

- 2.4 यह अपेक्षा की गयी कि पथ निर्माण विभाग, पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी पथों के उक्तवत सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाकर, बजटीय प्रावधान कराकर, अग्रेत्तर कार्रवाई करना चाहेगा।
- 2.5 आगामी बैठक में पथ निर्माण विभाग से पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी पथों की सूची लाने की अपेक्षा की गयी।
- 2.6 बेली रोड, पटना को आदर्श रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिसमें पथ के अलावा Cyclist Track, Pathway, Green belt, Parking spaces, Signage Grill, Drainage रहे।
- 2.7 आवश्यकतानुसार यदि राशि की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तो इसके बारे में भी जानकारी चाही गयी।
- 2.8 यह भी अनुरोध किया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पथों के सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव के लिए एक अलग नीति बनायी जानी चाहिए।
- 2.9 अधीक्षण अभियंता द्वारा यह जानकारी दी गयी कि बेली रोड 5 वर्ष की Maintenance Guarantee में है। जब उनसे पूछा गया कि पथ जब Maintenance Guarantee में है तो किस प्रकार अतिक्रमण हो रहा है? क्यों नहीं

Maintenance प्रदान करने वाली संस्था को प्रशासनिक सहयोग देकर अतिक्रमणमुक्त कराया जाता है? इस पर भी आगामी बैठक में जानकारी की अपेक्षा की गयी।

- 2.10 पथों के किनारे Parking Areas विकसित करने का प्रस्ताव बनाया जाय।
- 2.11 प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि वे अपने स्तर पर इस संबंध में एक बैठक आयोजित करने की कृपा करें। श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग इसे सुनिश्चित करेंगे।

3. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे (पूर्व मुद्दे यथावत, प्रतिनिधि अनुपस्थित):-

- 3.1 ऊर्जा विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि कई महत्वपूर्ण पथों के डिवाइडर पर बिजली के तार और पोल लगे हुए हैं, जिसके कारण स्ट्रीट लाइटिंग नहीं लगाया जा रहा है। इस पर ऊर्जा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाय।

ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगायी जा सकती है।

निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम/बुडको इस हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय कर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ के कार्यपालक पदाधिकारियों को भी समरूप कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

- 3.2 भारत सरकार द्वारा Energy Efficiency System Limited (EESL) के माध्यम से स्ट्रीट लाइट को एल०ई०डी० लाइट में परिवर्तित करने संबंधी विषय पर चर्चा हुई। यह अपेक्षा की गयी कि ऊर्जा विभाग को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एक संचिका भेजी गयी है, जिसमें स्पष्ट मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है। ऊर्जा विभाग से अपेक्षा है कि इस पर शीघ्र मार्गदर्शन दिया जाय।

- 3.3 NBCC द्वारा अधिष्ठापित योगीपुर एवं पहाड़ी पम्पिंग स्टेशन का विद्युत विपत्र 5.00 करोड़ से अधिक राशि का प्राप्त हुआ है, जो बी०आर०जे०पी० द्वारा भुगतान हेतु

विभाग को समर्पित किया गया है। यह स्पष्ट है कि जब इन पम्पों का संचालन हुआ ही नहीं था तो इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे किया जाय? इसे विद्युत वितरण कम्पनी देखें और आवश्यक सुधार करने की व्यवस्था करें।

#### 4. बुडको से संबंधित मुद्दे :-

- 4.1 पटना शहर में अधिष्ठापित हो रहे 1000 एल०ई०डी० लाईट को दशहरे के पूर्व पूर्ण करना बुडको की जिम्मेदारी है। महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण होने की अवधि गुजर गयी है। यह निर्देश दिया गया कि एजेंसी पर समुचित दंड अधिरोपित किया जाय। यह उद्धृत किया गया कि किये गये कार्य की जाँच करने के लिए, तटस्थ गुणवत्ता जाँच बुडको द्वारा करायी जाय।
- 4.2 पटना एयरपोर्ट के पास स्ट्रीट लाईट लगाने के मामलों का कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, एयरपोर्ट मैनेजर से वार्ता करके युक्तिसंगत निराकरण करें।
- 4.3 गाँधी सेतु, पटना के खराब पड़े हुए स्ट्रीट लाईट को एल०ई०डी० लाईट में परिवर्तित करने का कार्य यथोचित समन्वय कर शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
- 4.4 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाना बुडको की जिम्मेदारी है। अगली बैठक में इस हेतु एक नक्शा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। साथ ही साथ यह अपेक्षा की गयी कि सभी नालों के पानी की ट्रीटमेंट हेतु प्रभावकारी कार्रवाई की जाय और अगली बैठक में कार्य योजना समर्पित की जाय।

यह खेदजनक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रबंध निदेशक, बुडको इस पर अत्यधिक विशेष ध्यान दें।

- 4.5 सैदपुर नाले के सुदृढीकरण हेतु डी०पी०आर० बनाने का निर्देश पिछले 4 माह से दिया जा रहा है। जानकारी दी गयी कि डी०पी०आर० बनाने वाली एजेंसी का टेण्डर हुआ है। निर्देश दिया गया कि इसमें शीघ्रता बरती जाय।

इस मामले में यह जानकारी दी गयी कि मामले से संबंधित कोई वाद दायर है तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसे देखें।

- 4.6 पटना जलापूर्ति योजना का Status Report नगर निगम को संसूचित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था। इसका अनुपालन नहीं हुआ है। इस सप्ताह इसका अनुपालन हो जाना चाहिए। आगे का कार्य PMC AMRUT में करने पर विचार करें।

निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाय, जिसमें मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद एवं श्री दयाशंकर मिश्रा, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद तथा श्री सुधीर मिश्रा, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग रहेंगे, जो इस पूरी योजना की समीक्षा करेंगे और ताकि इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यह समिति इसके लिए Frame Work तीन सप्ताह के अंदर तैयार करेंगे।

- 4.7 पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी बड़े नालों पर सम्पूर्ण उपलब्ध जमीन की चौड़ाई में नालों का पक्कीकरण एवं उसके ऊपर यथासंभव पथ निर्माण के कार्य का डी०पी०आर० बनाने का निर्देश पिछली बैठकों में दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई प्रतिवेदित नहीं हुई है। बैठक में नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बॉकरगंज, मंदिरी, कुर्जी, सर्पेन्टाईन रोड, मीठापुर से नंदलाल छपरा, सिटी मोट नाला आदि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी सूचना पटना नगर निगम द्वारा बुडको को दी जा चुकी है।
- 4.8 रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट का निर्माण कार्य बुडको द्वारा कराया जाना है। इसकी प्रगति असंतोषजनक है। एजेंसी के साथ प्रधान सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी और सुधार करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश दिया गया कि बुडको इस हेतु कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो।

इस मामले में यह प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी ने JCB से कुछ समतलीकरण का कार्य किया है, किन्तु गंभीरता से परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बुडको, जो इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्यान्वयन एजेंसी

है, उन्हें बार-बार निर्देश दिया जा रहा है कि वे प्रभावी कार्रवाई करें। यदि संवेदक असफल हो रहा है तो निविदा के शर्तों के आलोक में उन्हें कड़ा दंड दिया जाय।

- 4.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरणों के क्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा बुडको को State Procurement Agency नामित किया गया है। बुडको द्वारा अद्यतन तिथि तक जिन-जिन उपकरणों की दर और आपूर्तिकर्ता निर्धारित किया गया है, उसकी विवरणी अगली बैठक में लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ यह अपेक्षा की गयी कि उपकरणवार बुडको द्वारा निर्धारित की गयी दर की तुलना श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में DGS&D की दरों के साथ संसूचित किये गये हैं, उसके साथ तुलना करके, तुलनात्मक विवरणी दिया जाय। श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए विशेष तौर पर उत्तरदायी होंगे।
- 4.10 कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दानापुर जलापूर्ति परियोजना के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया, जिसमें बुडको द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
- 4.11 बुडको द्वारा आगामी प्रत्येक बैठकों में पटना में किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति को भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4.12 गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार किये गये डी०पी०आर० को मेरे स्तर से आयुक्त, पटना प्रमंडल को प्रेषित कराया जाय।
- 4.13 मल्टीलेवल पार्किंग शीघ्र चालू हो, इस हेतु प्रबंध निदेशक (बुडको) सुनिश्चित करें। जानकारी दी गयी कि इस हेतु आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं हो रही है, इस कारण कार्य बाधित है। इस पर सुझाव दिया गया कि बुडको अपने संसाधनों से व्यय वहन करें ताकि कार्य बाधित नहीं हो।
- 4.14 रेलवे स्टेशन के समीप स्टेशन से पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना की स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

## 5. बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे :-

- 5.1 इस वर्ष पटना शहर में जलजमाव नहीं हुआ। इसका कारण डिस्चार्ज क्षमता में बढ़ोत्तरी होना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पटना में जलजमाव नहीं हो, डिस्चार्ज क्षमता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु कार्य योजना बनायी जाय और उसका कार्यान्वयन किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पटना शहर में जलजमाव नहीं होने का कारण प्रतिवेदित किया गया कि NBCC को कार्यरत करने एवं सभी 38 पम्पिंग स्टेशनों के शत-प्रतिशत मोटर पम्प की मरम्मत कर चालू रखा जा रहा है। अगले वर्ष की कार्य योजना में अशोक नगर, कंकड़बाग मिनी सम्प, मीठापुर करबिगहिया नाला निर्माण एवं सैदपुर ड्रेनेज का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसका डी०पी०आर० बनाने का कार्य किया जा रहा है।

- 5.2 अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर सम्प हाऊस की मंजूरी दी गयी है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि उसका डी०पी०आर० बन गया है। निर्देश दिया गया कि सम्प हाऊस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय ताकि क्षेत्र की समस्या का स्थायी निराकरण हो सके।

निर्देश दिया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ करने से पहले, विधानसभा चुनाव के बाद, Public Consultation किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर मिनी सम्प की मंजूरी दी गयी है। विधानसभा चुनाव के पश्चात Public Consultation किया जाएगा, उसके उपरांत पुनः निविदा की जाएगी।

- 5.3 बेऊर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का प्रारूप डी०पी०आर० बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बना लिया गया है। अपेक्षा की गयी कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और इसकी सूचना पटना नगर निगम को दे दी जाय। AMRUT कार्य योजना में इस योजना को

शामिल किया जाय। श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसके समावेशन के लिए विशेष तौर पर उत्तरदायी होंगे।

निर्देश दिया गया कि जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होकर ही डी०पी०आर० समर्पित किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि बेउर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का डी०पी०आर० Wapcos द्वारा तैयार कराया गया है एवं इसे पटना नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है।

- 5.4 गंगा नदी में गिरने वाले कृष्णा घाट एवं अंटा घाट नाले की I&D योजना कई वर्षों पूर्व बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बनायी गयी थी, लेकिन यह कार्यरत नहीं है। इस हेतु बिहार राज्य जल पर्षद, कार्य योजना बनाकर अवगत कराएंगे।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कृष्णा घाट एवं अंटा घाट नाले की I&D योजना GAPI में तैयार की गयी थी, जो अपनी आयु लगभग पूरा कर चुका है। इसका इंटरसेप्शन क्षमता आबादी के अनुरूप बहुत कम रहने के कारण इसकी मरम्मत किया जाना, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके स्थान पर नाला के साथ उचित भूमि पर STP के निर्माण में औसतन 0.75 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु बुडको के द्वारा I&D का डी०पी०आर० भी तैयार कराया गया है।

- 5.5 बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि सभी AMRUT शहरों में जलापूर्ति से संबंधित डी०पी०आर० का ब्यौरा, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया जाय ताकि AMRUT कार्य योजना में समावेश हो सके। यह मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

निर्देश दिया गया कि विमर्शानुसार 19 शहरों के डी०पी०आर० को अंतिम रूप दिया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार राज्य के 26 AMRUT शहरों में से 19 शहरों का डी०पी०आर० संबंधित नगर निकाय को उपलब्ध करायी जा रही है।



- 5.6 रामचक बैरिया में निर्माणाधीन Animal Crematoria के पहुँच पथ हेतु सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को मेरी ओर से पत्र प्रेषित कराया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इसका अनुपालन हो गया है।

- 5.7 बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पटना शहर में 12 ट्यूबवेल की योजना मंजूर की गयी है। उसके लिए कार्यपालक पदाधिकारीगण 15 दिनों के अंदर स्थल उपलब्ध करायें। यह निर्देश दिया गया कि बिना स्थल की उपलब्धता के कोई टेण्डर नहीं किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना शहर में 12 ट्यूबवेल के स्थान पर 9 ट्यूबवेल का स्थल उपलब्ध है। 9 अदद उपलब्ध स्थलों पर नलकूप निर्माण हेतु निविदा आचार संहिता के पश्चात् आमंत्रित की जाएगी।

- 5.8 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद प्रभावी कदम उठाए।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इस हेतु डाइजेस्टर की मरम्मत, फ्लोकुलेटर की सुधार एवं एयरेटर की मरम्मत आदि कार्य हो गया है। वर्तमान में सैदपुर STP 45 MLD क्षमता का कार्य करने हेतु तैयार है। बेउर स्थित STP का चूँकि बुडको के द्वारा जीर्णोद्धार किया जाना है, इसलिए इसकी मरम्मत अभी नहीं हो पायी है।

## 6. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :-

- 6.1 पटना शहर में अधिकाँशतः सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है। पटना नगर निगम, ऐसे शौचालयों के संधारण हेतु प्रस्ताव सुलभ इंटरनेशनल को समर्पित करें ताकि सुलभ इंटरनेशनल से संधारण कराया जा सके।

- 6.2 शुलभ इंटरनेशनल के प्रतिनिधि को कहा गया कि राज्य के विभिन्न शहरों में पब्लिक शौचालय बनाने एवं संधारण हेतु, शुलभ इंटरनेशनल प्रस्ताव बनाकर, नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित करें।
- 6.3 अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 6.4 स्ट्रीट लाईट के नये अधिष्ठापन एवं पुराने स्ट्रीट लाईट की मरम्मती हेतु विशेष अभियान चलाया जाय।
- 6.5 EESL के साथ प्रस्तावित MOU को गति दी जाय।
- 6.6 जलजमाव की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए विभिन्न अंचलों में जो संरचनात्मक कमियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, संयुक्त रूप से विवरण नगर आयुक्त को समर्पित करें। वैसे संरचनात्मक कार्य, जो जरूरी हो, उन्हें नगर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों से तत्काल स्वीकृत किया जाय।

निर्णय लिया गया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन दें।


- 6.7 रामचक बैरिया में ठोस अपशिष्ट का परिवहन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पहुँच पथ की स्थिति खराब है। कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। प्रतीत हो रहा है कि वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्देश दिया गया कि इसमें एक सप्ताह के अंदर सुधार किया जाय क्योंकि योजना मंजूर हो चुकी है।
- 6.8 शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल सुधार आना चाहिए। कंकड़बाग एवं पटना सिटी अंचल में भी रात्रि में सफाई कार्य प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी गयी है। तदनुसार रात्रि में सफाई कार्य प्रारंभ होना चाहिए।
- 6.9 अंचलवार निम्नवत पथों में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था अगले 15 दिनों में चालू हो जानी चाहिए :-

“बेली रोड, दारोगा राय पथ, अशोक राजपथ, शेरशाह पथ, पुराना वाईपास पथ, कंकड़बाग मुख्य पथ, बड़ी पथ, एन०एच० 98, दीघा से दानापुर एवं दानापुर से सगुना मोड़ होते हुए पटना नगर निगम की सीमा तक।”


6.10 **Equipment की अतिरिक्त आपूर्ति :-**

- (i) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी नगर निकायों में व्यापक पैमाने पर क्रय किये जा रहे इन उपकरणों के रखरखाव हेतु व्यवस्था किया जाय। आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर चालक एवं मैकेनिक रखी जाय।
  - (ii) SPUR के अंतर्गत कुछ राशि उपलब्ध है, जिससे अतिरिक्त Equipment खरीदे जा सकते हैं। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर/फुलवारी शरीफ को कहा गया कि वे एक सप्ताह के अंदर कार्य योजना की सूची दे दें ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त Equipment खरीदे जा सकें।
7. पटना शहरी क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति इस बार नियंत्रित की गयी थी, जिसमें सभी का सहयोग रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था में आमूलचूल सुधार नहीं हो पा रहा है। इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी और यह अपेक्षा की गयी कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी सफाई व्यवस्था में अत्यंत विशेष ध्यान दें।
8. इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आगामी त्यौहारों के अवसर पर समुचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए अभी से कड़ी मेहनत की जाय। पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर एक-एक कर समझाया गया और बताया गया कि संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। उन्हें पटना शहर में आमूलचूल सुधार करना है। तदनुसार वे मेहनत करें।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
24/12  
(अमृत लाल मीणा),  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक 6309 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/15  
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
29/12/15  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक 6309 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/15  
प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
29/12/15  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6309 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/15  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ/नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
29/12/15  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6309 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/15  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
29/12/15  
प्रधान सचिव